वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल अपराध के कारकों का समाज शास्त्रीय सन्दर्भ

राम नरेश,

शोधार्थी–समाज शास्त्र–विभाग,
बरेली कालेज,बरेली उ0प्र0

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। जिसका चिन्तन करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं सास्कृतिक कर्त्तव्य है। बालक भविष्य का राष्ट्र निर्माता, नायक और भविष्य का पिता है। जो आगे चलकर एक समाज के लिये पथ प्रर्दशक का काम करेगा अर्थात भविष्य में समाज को दिशा प्रदान कर सकता है। इसके लिये बालक को किस प्रकार से शिक्षा देना और उसको किस प्रकार से बालक की विसंगति को दूर किया जाये। बाल अपराधियों का अध्ययन वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लिया गया हैं

बाल अपराध भारत ही नही बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने मूल्य नियम, रीति रिवाज, प्रथाएँ, परम्परा एवं कानून आदि है। जिनका जब बालक उल्लघंन करता है। तो समाज के प्रतिमानों पर विसंगति का लाँछन लगता है। जो समाज के लिये घातक है। बालक एक खाली बुक क्राफ्ट है जिसको विभिन्न प्रकार के रंगों से संयोजित करना है। उसके लिये सुदृढ चित्रकार की जरूरत है जो उस पर व्यवस्थित तरीके से कार्य करके खाली बुक क्राफ्ट को उपयोगी बुक क्राफ्ट बना सके उसके अंदर अच्छे संस्कार समावेशित कर सके।

अधिकांश बाल अपराधी निम्न वर्गीय परिवारों से सम्बंधित होते है। जिनमें गरीबी का होनास मुख्य कारण है परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नही होती हैं कि बच्चों का पालन पोषण की जिम्मंदारी निभाई जाये जिससे बच्चों के मन में असुरक्षा की भावना रहती हैं कम उम्र से ही असंगठित स्थानों पर काम करने लगते है क्योंकि धीरे धीरे परिवार का भरण पोषण उनके कन्धों पर आने लगता है। जिससे उनके मन में कुण्ठा, हताशा, उग्रस्वभाव, आदि जन्म ले लेते है। और बुरी संगति और असामाजिक तत्व उन्हें बाल अपराधी बनाने के लिये विवश कर देते हैं

इसके साथ साथ मां बाप की असामाजिक प्रवृत्तियां जैसे जुँआ, शराब, अनैतिक उघोग धन्धों के कारण भी बालक अपराधिक प्रवृत्तियो की ओर आकर्षित होता हे। इसके अतिरिक्त माता पिता के सम्बंध विच्छेदन होना या मृत्यु के कारण और माता पिता का झगड़ते रहना यह सभी प्रवृत्तियां बाल अपराध की ओर आकृष्ट करती है। बालकों का अशिक्षित होना और उनका मस्तिष्क परिकृत एवं परिमार्जित न होने के कारण बाल अपराध करते है। पारिवारिक नियंत्रण का अभाव होना भी बाल अपराध बनाने में सहायक है।

बाल अपराध

वे बालक जान बूझकर समाज के रीति रिवाज, मूल्यों परम्पराओं , सांस्कृतिक तत्वों का इरादतन हनन करते है। उन्हें समाज विरोधी बालक या बाल अपराधी कहलाते है।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार– बालकों के उम्र का निर्धारण 7 से 16 वर्ष तथा लड़कियों की आयु लगभग 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बालकों का विसंगति पूर्ण व्यवहार

असामाजीकृत, तत्वों के कारण बालक मनोवैज्ञानिक पटल का समाज शास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। जिसका सामाजिक समस्या का निरूपण सम्भव हो सके।

ईटान एवं पोक ने बाल अपराधियों के अपराध को पांच समूहों में वर्गीकृत किया–

1. **छोटे उल्लंघन** – छोटे उल्लंघन वे उल्लंघन जिसका बालक अपने दैनिक क्रियाओं में छोटी छोटी गलतियाँ, सामाजिक प्रतिमानों के विपरीत करते है। और धीरे–धीरे छोटी विसंगति एक किशोर बालक अंग बन जाती है। जैसे– गाली देना, अभद्र बात करना, माता–पिता की बातों को अनदेखा करना, सड़क के बीचों अपराधी यातायात के नियमों का उल्लघंन करते है। सड़कों पर बायी ओर चलने की बजाय दाहिने ओर वाहन चलाते है। जब रोड पर चैकिन लगती है। तो बचने के चक्कर तेजी से छोटीच–छोटी गलियों से गाड़ी भगाते है। गाड़ी में डिपर और लाइट भी तोड़ देते हैं और वाहन चोरी का भी काम करते है। लखनऊ जैसे महानगर इनका पूरा समूह गाड़ी चोरी का कार्य कर रहा है और पुलिस भी निरन्तर ढूंढती है। लेकिन सही पता नही लगा पाती है।

2. **यातायात नियमों का भारी उल्लंघन करना** – बाल अपराधी/किशोर बाल अपराधी यातायात के नियमों का उल्लघंन करते है। सड़कों पर बायी ओर चलने की बजाय दाहिने ओर वाहन चलाते है। जब रोड पर चैकिन लगती है। तो बचने के चक्कर तेजी से छोटीच–छोटी गलियों से गाड़ी भगाते है। गाड़ी में डिपर और लाइट भी तोड़ देते हैं और वाहन चोरी का भी काम करते है। लखनऊ जैसे महानगर इनका पूरा समूह गाड़ी चोरी का कार्य कर रहा है और पुलिस भी निरन्तर ढूंढती है। लेकिन सही पता नही लगा पाती है।

3. **सम्पत्ति का उल्लंघन** – बाल आपराधी किशोर मनोवेगी होते है जो सम्पत्ति को नष्ट कर देते है। या किसी कीमती वस्तु को बाजार में लेजाकर सस्ते दामो में बेंच देते है। या जुंआ पर जाकर दांव लगा देते है। और अपनी मां के कीमती जेवरातों को चुरा लेते है। स्वयं की साइकिल के पहिया या हैण्डिल, चिमटा को तोड़ देते है और अपने पाठ्य पुस्तके रद्दी के भाव दुकान पर बेंच देते है। और पढ़ाई में भी मन नही लगाते है।

4. **शारीरिक चोट–** बाल अपराधी क्रूरता या दुष्टता अपने परिवार या पड़ोसी से सीखता है शोध अध्ययन के आधार से स्पष्ट होता है। कि उसका आनुवाँशिक लक्षण भी बालक को बाल अपराध करने की ओर मोड़ देता है। जैसे मारपीट करना, चोरी करना, चाकू मार देना, हत्या, बलात्कार और आकस्मिक गैर इरादतन हमला कर देना इन सभी कारको के माध्यम से बालक शारीरिक चोट पहुँचाता है।

रावर्ट ट्रोजेनोविज (ROBERT TROJANOWICZ 1973) ने बाल अपराधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जैसे–

1. **आकस्मिक अपराधी** – वे बाल अपराधी है जो किसी समय किसी अपराध को अल्जाम दे सकते है। ये किसी की बात जल्दी स्वीकार नही करते है। इनका व्यवहार विचित्र होता हैं ये हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होते है इन्हें दुर्घटनाग्रस्त बाल अपराधी कह सकते है।

2. **असामाजीकृत बाल अपराधी –** ऐसे बाल अपराधी जिनका सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से सामाजीकरण नही हो पाया क्योंकि किसी के पिता की मृत्यु हो गई और किसी की माता की मृत्यु हो गई या माता पिता दोनो की मृत्यु हो गई। सामाजिक संस्कार बालक के अंदर अन्तनिर्हित नही हो पाये एवं शिक्षा के अभाव में बालक गलत और सही में अंतर नही कर पाते है। वह जो कुछ भी करते है। उसे सब सही समझ लेता है। क्योंकि सामाजिक प्रतिमानों से उसका सही रूप से साक्षात्कार नही हो पाया इसी कारण बालक से विसंगतिपूर्ण कार्य हो जाता है। ऐसे बालक स्वयं दोषी न होकर परिवार एवं समाज दोषी होता है।

3. **अक्रामक एवं अनियमित बाल अपराधी –** ऐसे बालक जो सामाजीकरण की धारा से अलग रहे है उनका समुचित विकास नही हो सका किसी कारण को पाकर वह आक्रमक अपराध के लिये तुरंत तैयार हो जाता है। जैसे हँस देना, गाली दे, या उसकी बुराई कर देना ऐसी स्थिति में उसका मनोवेग उसे अपराध करने के लिये उदृदेलित कर देता है। ऐसी स्थिति किशोर बालक अप्रतिमानित कार्य कर डालते हैं ऐसे अपराधियों की कोंई समय सीमा निश्चित नही होती हैं और न ही इनके अपराध करने के तरीके निश्चित होते है। इनमें नियममता का अभाव होता है।

4. **पेशेवर –** कुछ बालक अपराध करना उनका एक व्यवसाय होता हैं जैसे जेब काटना, चोरी करना, झूठ बोलना, भीख मांगना, देशी शराब बेचना, गाँजा, चरस आदि। बहूरूपिया बनना और हिजड़ा बनकर रेलगाड़ियों पर यात्रियों से रूपये ऐंठना आदि कार्य करते हैं

5. **संगठित गिरोह –** बाल अपराधी सुनियोजित एवं स्ववस्थित होकर अपना एक गिरोह (GANG) तैयार करते है। ये सभी लगभग एक ही उम्र के होते है। और सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी समान होती है। और उनके गिरोह का मुखिया होता है। जो सभी किशोर अपराधियों का नेतृत्व करता है। उसी के इशारे पर सभी किशोर अपराधी अपराध कर डालते है ऐसे में संगठित गिरोह नही है। बल्कि अपराध करने में मदद करते है।

वस्तुतः बाल अपराध के कारणों का निर्धारण करना सम्भव नही है फिर भी यह सत्य है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ बालकों में कानून के उल्लंघन की प्रवृति बढ़ती जा रही हैं। इस विषय पर शोधार्थी का गहन चिन्तन एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा है।

नष्ठ घर – नष्ट घर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं।

1. भौतिक रूप से नष्ट में माता–पिता में से एक अथवा दोनो की मृत्यु हो जाने पर, तलाक देने पर, तलाक करने तथा जेल होने से परिवार नष्ट हो जाता है। इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 2009 के शोध में 80% व बालक जिनके माता पिता या पिता में किसी एक की मृत्यु हो गई थी।

2. **मानसिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ –** परिवार के सदस्य एक साथ तो है किन्तु उनमें मनमुटाव , मानसिक संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती है ये दोनो स्थितियां बाल अपराध को जन्म देती है। 2009 के शोध में 80%

सूचनादाताआ ने उत्तर दयिा कि मेरे माता–पिता में आपसी मनमुटाव एवं मानसिक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। सौतैली माता या सौतेले पिता होने पर बच्चों को परिवार में जोड़ने है और प्यार मिलना चाहिए वह नहीं मिन पाता है। उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे अपराध में लिप्त हो जाते हैं। शोध के आधारानुसार 80% बच्चे सौतेली माँ के द्वारा प्रताड़ित होने का दावा किया जिसमें 20% बच्चों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

गरीबी (Poverty)

कई अध्ययन इस बात को स्पष्ट करते है कि गरीबी ने बच्चों को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जोन्स के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''ज्यों–ज्यों आर्थिक स्तर निम्न होगा, त्यों–त्यों, बाल अपराध की दर ऊँची होगी। बुभुक्षित किम् न करोति पांप।

मनोरजंन

मनोरंजन बाल अपराध के मध्यघनिष्ठ सम्बन्ध है। नगरों में अधिकांश बालक तंग गलियों और मोहल्लो व गन्दी बस्तियों में रहते हैं। जहाँ खेलने के लिए न उचित स्थान है और न कोई माध्यम है ये खेलने के लिए काफी दूर निकल जाते हैं। बालकों की आदतो के अनुसार वे रास्ते में भिन्न–भिन्न प्रकार की शैतानियां करते जाते हैं ये शैतानियां उनके खेल का एक भाग होती है। 2009 में सूचनादाता ने बाल गृह (बालक) कल्याण कानपुर के सन्दर्भ में 32% रोमांटिक साहित्य, 40% अश्लील साहित्य, 20 ऐतिहासिक साहित्य पढ़ने का शौकीन बताया जिसमें 8 उत्तरदाताओं ने कोई प्रतित्युत्तर नहीं दिया।

समाचार पत्र–समाचार पत्रों में सिद्ध हस्त अपराधियों के गुणगान बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित किये जाते हैं। इन अपराधियों के अपराध की कला का वर्णन बहुत ही आकर्षक एवं रोचक ढंग से लिखा जाता है और समाचार पत्रों में हत्या, बलात्कार, चोरी का विस्तार से उल्लेख किया जाता है जिसको बाल अपराधी बड़े ध्यान से पढ़ते है उससे अपराध करने का तरीका सीखते हैं।

भगोड़ापन (Truancy)

अधिकाँश बालक घर का अनुशासन कठोर होने पर या घर का अनुशासन ढीला होने पर और पढ़ाई में मन न लगने के कारण घर या विद्यालय से भागना प्रारम्भ कर देता है 2009 के शोध के आधार पर 24% उत्तरदाताओं ने बताया कि मेरे परिवार का कमजोर पारिवारिक नियंत्रण है। 40% उत्तरदाताओं ने अधिक कठोर पारिवारिक नियंत्रण और 12% ने किसी प्रकार का पारिवारिक नियंत्रण नहीं एवं 24% ने बताया न कमजोर न अधिकर कठोर पारिवारिक नियंत्रण है।

आवारा (Vagrancy)

माँ बाप की आज्ञा के बिना घर से निकलकर निरूद्देश्य एवं निठल्ला बनकर घूमता रहता है। गन्दी बस्तियाँ, रेलवे स्टेशन, पार्को, सिनेमाहालों तथा बाजारों में घूमा करता है। शराब पीना, भाँग खाना, भीख मांगना, भविष्य बताना आदि ये बालक 14–16 वर्ष के होते है।

औद्योगिकरण (Industrialization)

औद्योगिकीकरण ने बाल अपराध को बढ़ावा देने में निम्न प्रकार की भूमिका निभाई है–

1. पारिवारिक विघटन
2. मकान की समस्या

3. यौन अनैतिकता को प्रोत्साहन।
4. अस्वास्थ्य प्रदमनोरंजन
5. स्वास्थ्य की हीनता
6. जुआँ गिरहकटी को प्रोत्साहित करना।
7. अपूर्ण मकान

नगरीकरण (Urbanization)

गाँव की अपेक्षा नगरों में बाल अपराधी अधिक है क्योंकि भारत देश गाँव प्रधान देश है जहाँ ग्रामीण में शुद्ध हवा और खुला वातावरण शामिल है बालकों को खेलने के लिए मैदान और बुजुर्गो की चोपाल होती है जहाँ पर बालक पौराणिक लोककथा सुनाई जाती है जिसके कारण बाल अपराधियों को सुधारने का काम किया जाता है बाल अपराधियों की संख्या होती लेकिन कम होती है जबकि नगरों में शिक्षा के बहुत साधन होते है उन साधनों का बालक नाजायज लाभ उठाता है। मोबाईल एवं इण्टरनेट के माध्यम से अश्लील साहित्य एवं दुष्चरित कार्यप्रणाली को देखता है। नगर की सकरी गलियों में निरूद्देश्य घूमा करता है और बाल अपराधियों का एक गिरोह तैयार करते है शहरी फैशन को अत्याधुनिकीरकरण करने लगे रहते है। उत्तदाताओं का साक्षात्कार लेने पर 40% ग्रामीण थे जबकि 60% नगरीय क्षेत्रों के बाल अपराधी थे।

पड़ोस (Neighbour)

पड़ोस का प्रभाव ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है कहावत है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो अच्छा पड़ोस मिला है। परन्तु अधिकांश पड़ोसी ईर्ष्या करने वाले होते है। जो अपने पड़ोसी के बच्चे को गलत रास्ते बताने की कोशिश करते है। ये अधिकांशताः जुआरी, शराबी, आदि होते है उनका प्रभाव पड़ोसी बालकों पर पड़ता है।

निदानात्मक निष्कर्ष

किशोर बाल अपराधियों का उचित समाजीकरण परिवार एवं संस्थाओ के द्वारा किया जाये और सर्वागीण कौशल को विकसित किया जाये जिससे भविष्य में एक उत्कृष्ट नागरिक बन सके। पड़ोस की कुसंगति से बचाने का प्रयास किया जाये। अश्लील साहित्य के स्थान पर अध्यात्मिक एवं भौतिक जगत का ज्ञान कराया जाये।

सन्दर्भ सूची

1. डॉ0 राम अहूजा विवेचनात्मक अपराधशास्त्र (1998) (रावत प्रकाशन नई दिल्ली
2. डी0 एस0 बघेल क्रिमिनोलॉजी, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली–7 (2007)
3. डॉ0 राम अहूजा सामाजिक समस्याएँ (द्वितीय संस्करण 2000) पूर्वतः संशोधित एवं परिवर्तित (रावत प्रकाशन नई दिल्ली)
4. महाजन व महाजन अपराधशास्त्र (विवेक प्रकाशन नई दिल्ली)
5. डॉ0 रवीन्द्र नाथ मुखर्जी सामाजिक शोध व साँख्यिकी नवीनत संस्करण (2012) विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली–7
6. मो0 अबरार खान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 सागर ला हाउस इलाहाबाद (उ0प्र0)
7. राम नरेश लघु शोध (2009) बालग्रह (बालक) कल्याणपुर, कानपुर

Copyright © 2017, Ram Naresh. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.